

## प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 25.06.2024 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना बरौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 44/24 व 45/24 धारा 379/411 भादवि0 व 3/25आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अनिकेत कुशवाह पुत्र शिशुपाल नि0 बरौली थाना देवराहट का0दे0 को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अ0सं0 270/24 धारा 376/504/506 भादवि0 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शिवम मौर्या पुत्र चन्द्रिका मौर्या नि0 भजनपुरवा थाना निघासन जनपद लखीमपुर खीरी को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त श्रीवास्तव कबूतरा पुत्र श्रीकिशन निवासी ग्राम कबूतरा डेरा करियापुर थाना भोगनीपुर कानपुर देहात हाल निवास ग्राम लगंरपुर कबूतरा डेरा थाना कालपी जनपद जालौन उम्र लगभग 31 वर्ष के कब्जे से 15 लीटर कच्ची अवैध शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 200/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना डेरापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त 1. ओमी कटियार पुत्र नरेंद्र कटियार निवासी निम्दापुर थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात हाल पता कस्बा मुंगीसापुर थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात उम्र 20 वर्ष के कब्जे से 01 अदद मोटर साइकिल हीरो एचएफ डीलक्स चोरी की बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 107/24 धारा धारा 411/483 भादवि पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना बरौर पुलिस द्वारा अभियुक्त अनिकेत कुशवाहा पुत्र शिशपाल सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी बरौली थाना देवराहट का0दे0 के कब्जे से एक अदद तमन्चा व दो जिन्दा कारतूस 315 बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 45/2024 धारा 3/25 Arms act पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद मे शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 13 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना बरौर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना सट्टी पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना रनियां पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों तथा थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का धारा 151/107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया।